भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1626
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है)

बढ़ती आर्थिक असमानता

1626. श्री एस सुपोंगमेरेन जमीर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बढ़ती आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जहां अरबपतियों की संपत्ति तीन गुनी हो गई है, जबकि लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास धन कर (2015) को फिर से लागू करने या अति-धनवानों पर एक ठोस कराधान प्रणाली लागू करने की कोई योजना है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक विकास सभी नागरिकों को लाभान्वित करे, विशेष रूप से स्थिर मजदूरी, बढ़ती मुद्रास्फीति और खराब रोजगार वृद्धि जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास नीति निर्माण में निष्पक्षता और न्याय के साथ धन संकेन्द्रण को संतुलित करने के लिए कोई व्यापक योजना है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) : सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों का विकास है। समावेशी विकास पर इसका ध्यान गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा, आय सृजन और आजीविका विकल्प प्रदान करने और देश की आबादी के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए "सबका साथ, सबका विकास" की प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है।

इन उद्देश्यों के साथ, सरकार कई लक्षित कार्यक्रमों को लागू कर रही है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए सर्वसमावेशी कार्यक्रम; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; पीएम-किसान के तहत निधि अंतरण, पीएम फसल बीमा योजना दावा भुगतान; उर्वरक सब्सिडी; डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज

सहायता; फार्म गेट अवसंरचना के लिए कृषि अवसंरचना निधि आदि। इसके अलावा, सरकार ने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना आदि सहित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है ताकि मूलभूत सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाया जा सके।

(ख) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत में एक प्रगतिशील प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था है जिसमें अधिक आय वाला कोई व्यक्ति कम आय वाले किसी व्यक्ति की तुलना में उच्च दरों पर आयकर का भुगतान करता है। इसके अलावा, आयकर पर अधिभार एक निश्चित स्तर से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। इस प्रकार अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के कराधान के संबंध में एक मजबूत कराधान प्रणाली पहले से ही मौजूद है।

(ग) और (घ) : सरकार का एक बहु-आयामी दृष्टिकोण है जो आर्थिक असमानता को संबोधित करता है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है, और निष्पक्ष आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रहा है और नियोजनीयता में सुधार कर रहा है। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट से पता चलता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार कोविड-पूर्व स्तर से आगे निकल गए हैं। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 में 5.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है।

रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में प्रदान किया गया है। इसके अलावा, मजबूत पूंजीगत व्यय, लॉजिस्टिक सुविधाओं में निरंतर सुधार, शहरी विकास, एमएसएमई को बढ़ावा देने जैसे विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से कृषि और विनिर्माण समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे है, जिससे रोजगार में सुधार हो रहा है और नागरिकों की क्रय शक्ति में सुधार हो रहा है।

सरकार कौशल विकास केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) को भी लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से सुसज्जित भविष्य के लिए तैयार बनने में सक्षम करना है। इसके अलावा 18 ट्रेडों के कारीगरों और शिल्पकारों, जो अपने हाथों और उपकरणों के साथ काम करते हैं, को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर, 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी।

सरकार ने मध्यम वर्ग की व्यय शक्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में महत्वपूर्ण उपायों का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बजट में प्रस्तावित किया गया है कि नई कर व्यवस्था के तहत प्रति वर्ष ₹12 लाख की आय तक कोई आयकर देय नहीं होगा। बजट में करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक समान रूप से व्यक्तिगत आयकर की दरों और स्लैब में बदलाव का भी प्रस्ताव किया गया है। नई संरचना से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आने और उनके पास अधिक धन रहने की उम्मीद है। मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के अन्य उपायों में संबंधित पेंशन योजनाएं, किफायती आवास के लिए सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएं और उद्यमियों को वित्तीय सहायता शामिल है।

****